रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2012/चैत्र 13, 1934
No. 158] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2012/CHAITRA 13, 1934

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2012

सा.का.नि. 280(अ).—तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:

1. तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में -

(i) नियम 2 में, -

(क) खंड (एफए) में 'झींगा' शब्द हटा दिया जाएगा;

(ख) खंड (जीए) को हटा दिया जाएगा।

(ii) अनुबंध-2 में, -

(क) खंड-1 में

-(i) पैरा 1 में, उप पैरा (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामत:-

'(1) जलकृषि प्राधिकरण के द्वारा विनिर्दिष्ट वांछित जैव सुरक्षा सुविधाओं वाली बीज उत्पादन से जुड़ी अथवा जुड़ने का इरादा रखने वाली हैचरियां तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन और इसके तहत बनाए गए नियमों और व्यस्क ब्रूडस्टाक के पालन के लिए एल. वेन्नमेई के स्पेसिफिक पैथेजीन मुक्त (एसपीएफ) के ब्रूडस्टाक अथवा एसपीएफ किशोरों (10 ग्राम तक) को पालकर व्यस्क बनाने के लिए आयात करने और एल. वेन्नमेई का उत्पादन करने और एल. वेन्नमेई के पोस्ट लार्वा बेचने के पात्र होंगे।

(ii) पैरा 5 के बाद, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, नामत:

5.क. संगरोध - इन नियमों के प्रयोजन के लिए संगरोध कार्यवाही को भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 के उपखंड (1) के तहत

भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड(2) में प्रकाशित 15 अक्तूबर, 2008 के एस.ओ. 2482 (ई) के तहत अधिसूचना में विनिर्दिष्टानुसार संकलित किया जाएगा।

(iii) पैरा 7 में, उप पैरा (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगे, नामतः-

'(1) नउप्ली केवल उन्हीं हैचरियों को बेची जाएगी जिन्हें प्राधिकरण द्वारा उचित जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ एसपीएफ एल. वेन्नमेई के बीज के पालन की अनुमति दी गई है। बिक्री के उद्देश्य से नउप्ली का पीएल चरण तक पालन करने वाले हैचरियों को प्राप्त और बेचे गए नउप्ली और उत्पादित पीएल की संख्या का रिकार्ड रखना चाहिए और उसे प्राधिकरण के समक्ष नियमित आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर उन हैचरियों को भविष्य में नउप्ली प्राप्त करने के लिए मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।'

(iv) भाग-2 में

(क) उप पैरा (1) के पैरा 1 में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः

'(1) प्राधिकरण के साथ पंजीकृत जलकृषि कृषकों द्वारा एल. वेन्नमेई पालन के लिए अनुमति के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

बशर्ते कि गैर पंजीकृत कृषकों द्वारा एल. वेन्नमेई पालन के उनके उद्देश्य को दर्शाते हुए पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाए और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवेदन पर अंतिम निर्णय लिया जाए।'

(ख) उप पैरा (2) के पैरा 3 में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः-

'(2) एल. वेन्नमेई पालन के लिए अनुमोदित फार्मो को उसी फार्म में एक साथ किसी अन्य क्रास्टेशियन प्रजातियों के पालन के लिए अनुमति नहीं दी जाए।'

(3) एक प्रजाति से अन्य प्रजाति और उलटे क्रम से बीच में पर्याप्त सूखा काल होनी चाहिए, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार तालाब की तैयारी के दौरान पर्याप्त सूखा काल होना चाहिए'; और

(ग) पैरा 5 के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाए, नामतः-

'6. अप्राधिकृत स्टाक को नष्ट करने की शक्ति – प्राधिकरण के निरीक्षण दल द्वारा फार्म या हैचरियों के निरीक्षण के दौरान, यदि किसी प्रकार का अप्राधिकृत एल. वेन्नमेई बीज उत्पादन या पालन करते हुए पाया जाता है, निरीक्षण दल ऐसे स्टाक को ऐसी किसी भी प्रक्रिया से नष्ट कर सकते हैं जैसा वे उपयुक्त महसूस करें।'

[फा. सं. 33036/1/2008-मा.(टी-2)]

तरुण श्रीधर, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड(i) में सा.का.नि. 740(ई), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 और तदुपरान्त सा.का.नि. 302(ई), दिनांक 30 अप्रैल, 2009 और सा.का.नि. 914(ई), दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 को संशोधित करते हुए प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2012

G.S.R. 280 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, namely:-

1. In the Coastal aquaculture Authority Rules, 2005,-

(i) in rule 2,-
(a) in clause (fa), the word "shrimp" shall be omitted;
(b) clause (ga) shall be omitted.

(ii) in Annexure-II,-
(a) in Part-I-
(i) in para 1, for sub-para (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Hatcheries engaged or intending to be engaged in seed production having the required biosecurity facilities as specified by the Coastal Aquaculture Authority shall be eligible to apply for registration under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) and the rules framed thereunder and for permission to import Specific Pathogen Free (SPF) broodstock of *L. vannamei* or SPF juveniles of *L. vannamei* (upto 10 g size) for rearing to adult broodstock and to produce and sell post larvae (PL) of *L. vannamei*.",

(ii) after para 5, the following para shall be inserted, namely:-

"**5 A. Quarantine.** - For the purposes of these rules the quarantine procedures shall be complied with as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2482(E), dated the 15th October, 2008, issued under sub-section (1) of section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898).

(iii) in para 7, for sub-para (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Nauplii shall be sold only to the hatcheries permitted by the Authority to rear the seed of SPF *L.* vannamei with due biosecurity protocols. Hatcheries rearing nauplii to the PL stage for sale should maintain record of the number of nauplii received and the PL produced and sold and submit the same to the Authority on a regular basis, failing which the hatcheries shall be derecognized to receive nauplii in future."

(iv) in Part-II,
(a) in para 1, for sub-para (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Aquaculture farmers who are registered with the Authority shall submit a separate application for permission for farming *L. vannamei*:

Provided that the unregistered farmers shall submit application for registration specifying their intention to culture *L. vannamei* and the application shall be decided in accordance with the provisions of these rules."

(b) in para 3, for sub-para (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Farms approved for *L. vannamei* culture shall not be permitted for simultaneous farming of any other crustacean species in the same farm.
(3) For shifting culture from one species to another, adequate dry out period shall be maintained during pond preparation in accordance with the norms issued by the Authority for this purpose from time to time."; and

(c) after para 5, the following shall be inserted, namely:-

"**6. Destruction of unauthorized stock.** – If any unauthorized seed production or culture of *L. vannamei* is noticed during the inspection of farms or hatcheries by the inspection team of the Authority, the inspection team may destroy such stock by such method as it thinks fit."

[F. No. 33036/1/2008-Fy(T-2)]

TARUN SHRIDHAR, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 740 (E), dated the 22nd December, 2005 and subsequently amended vide number G.S.R. 302 (E), dated the 30th April, 2009 and G.S.R. 914 (E), dated the 18th December, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.